

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** ललितपुर **P.S. (थाना):** कोतवाली **Year (वर्ष):** 2026
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0495 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 04/05/2026 21:47 घंटे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/अबकारी अधिनियम	60
2	उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/अबकारी अधिनियम	72
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	274
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	319(2)
6	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
7	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338
8	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(3)

9	कॉपीराइट अधिनियम (संशोधित) 1957	54
10	कॉपीराइट अधिनियम (संशोधित) 1957	63

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): सोमवार Date from (दिनांक से): 04/05/2026 Date To (दिनांक तक): 04/05/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 7 Time From (समय से): 18:25 बजे Time To (समय तक): 18:25 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 04/05/2026 Time (समय): 21:47 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 065 Date and Time (दिनांक और समय): 04/05/2026 21:47 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 05 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): गंगापुरम ललितपुर ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): PRASHANT RANA

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 24/05/1995 (d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
---------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BHADAL, दोघट, बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	BHADAL, दोघट, बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-98708XXXXX

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
---------------------	------------	------------------	--	---------------------------------

1	अंकित विश्वकर्मा	Error: Subreport could not be shown.	पिता का नाम : मनीष विश्वकर्मा	1. गंगापुरम बिहार कालौनी बडी नहर,कोतवाली ललितपुर,ललितपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	रवि लखैरा	Error: Subreport could not be shown.	पिता का नाम : सुरेश लखैरा	1. मु0 गंगापुरम कालौनी,कोतवाली ललितपुर,ललितपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
3	चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की	Error: Subreport could not be shown.	पिता का नाम : करन सिंह लोधी	1. रवि लखैरा का मकान मु0 गंगापुरम,कोतवाली ललितपुर,ललितपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
4	मनीष विश्वकर्मा	Error: Subreport could not be shown.	पिता का नाम : कम्मोद विश्वकर्मा	1. मु0 जमुनापुरम कालौनी,कोतवाली ललितपुर,ललितपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
5	पुष्पेन्द्र ठाकुर	Error: Subreport could not be shown.	पिता का नाम : सूरज भान	1. ग्राम करगन मजरा नया खेडा,कोतवाली ललितपुर,ललितपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
6	प्रकाश मे--- शिवानी लखैरा	Error: Subreport could not be shown.	पति का नाम : रवि लखैरा	1. मु0 गंगापुरम कालौनी,कोतवाली ललितपुर,ललितपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
7	प्रकाश मे --मोना राजा	Error: Subreport could not be shown.		1. खिरिया छतारा वानपुर रोड,कोतवाली ललितपुर,ललितपुर,उत्तर प्रदेश,भारत

8	प्रकाश मे -प्रेम सिंह बांगरी	Error: Subreport could not be shown.		1. गवालियर, गवालियर, मध्य प्रदेश, भारत
9	प्रकाश मे --दादा हरियाणा	Error: Subreport could not be shown.		1. हरियाणा, अज्ञात
10	प्रकाश मे ---दीपचन्द्र	Error: Subreport could not be shown.		1. अज्ञात, अज्ञात
11	प्रकाश --बडे राजा	Error: Subreport could not be shown.		1. अज्ञात, अज्ञात
12	प्रकाश मे -गजेन्द्र	Error: Subreport could not be shown.		1. अज्ञात, अज्ञात

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

text.....

नकल -----फर्द बरामदगी विभिन्न ब्राण्डो के कुल 5329 देशी शराब के नकली ढक्कन, कुल 145820 नकली लेबल, कुल 22526 नकली क्यू.आर.कोड, 9109 खाली

पारदर्शी पच्चा बिना ढक्कन, 750 गत्ता नकली SOM आदि अंकित , 17 बडे नीले ड्रम, 04 छोटे ड्रम , एक RO मशीन , एक बोतल सील करने की मशीन , फूड कलर के 03 डिब्बे , सफेद रंग की AUDI UP16 BE 3443, काले रंग की क्रेटा न0 MP16 ZH 6068 , मोटरसाइकिल पैंशन सिल्वर रंग MP16 ML 3248 , 04 अदद गत्तो मे बंटी बबली ब्रान्ड देशी शराब 165 टैट्रा फ्रूटी एव 02 अदद विस्की अग्रेजी शराब, 1 अदद देशी मदरा मसाला प्रिंस आरेंज क्वार्टर, 03 अदद मोबाइल फोन आदि , गिरफ्तारी 05 नफर अभियुक्त व बरामदगी कुल रूपया 05 लाख 50 हजार रुपये अन्तर्गत धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 61(2)/274/319(2)/318(4)/338/336(3) BNS एवं धारा 54/63 कापीराइट एक्ट मै उ0नि0 प्रशान्त राणा मय हमराह उ0नि0 आलोक सिंह, उ0नि0 अनिल कुमार, आरक्षी नवीन, आरक्षी निशान्त, आरक्षी अनुराग, महिला मुख्य आरक्षी पुनीता, महिला आरक्षी रीना धाकरे, महिला आरक्षी पूजा, महिला आरक्षी प्रतिभा के थाने से दिनांक 03/05/2026 को जीडी नं0-073 समय 21.56 बजे देखरेख शांति व्यवस्था एवं रोकथाम जुर्म जरायम, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन इलाका थाना हाजा में रवाना होकर गस्त एवं पिकिट ड्यूटियों को चैक करते हुये, दिनांक 04.05.2026 को बडी नहर पुल के पास आये तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शराब माफियाओं का एक संगठित गिरोह भौतिक एवं आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिये नकली शराब तैयार कर उसे असली के रूप में विभिन्न स्थानो पर बेचकर मौटा मुनाफा प्राप्त कर रहे है । इनका एक साथी मु0 गंगापुरम कालौनी ललितपुर को एक सिल्वर रंग की पैंशन मोटर साईकिल पर शराब व शराब के नकली ढक्कन आदि लेकर सप्लाई के लिए आने वाला है, यदि तत्परता की जाये तो उसे पकड़ा जा सकता है । इस सूचना से मुझ उप निरीक्षक द्वारा तत्काल उच्चाधिकारीगणों को अवगत कराकर मुखबिर के बताये अनुसार मु0 गंगापुरम कालौनी ललितपुर की ओर जाने वाली नहर की नहर पुल के पास मुखबिर के साथ छिपकर मोटर साईकिल सवार के आने का इंतजार करने लगे । मौके पर आने जाने वाले व्यक्तियों को रोककर मकसद बताकर जन साक्षी लेने का प्रयास किया गया तो आपसी रंजिश के डर भय के कारण कोई तैयार नही हुआ और अपनी मजबूरी बताकर हट बढ गये । समय करीब 16:50 बजे दिन में एक मोटर साईकिल नहर पटरी पर NH 44 की ओर से आती दिखाई दी जिसे मुखबिर ने देखकर बताया यही वह व्यक्ति है जो शराब की तस्करी एवं नकली शराब की पैकिंग के ढक्कन, बार कोड, रैपर आदि की सप्लाई मु0 गंगापुरम कालौनी ललितपुर में करता है और मुखबिर चला गया । मोटर साईकिल सवार के नजदीक आने पर देखा कि मोटर साईकिल पर आगे कोई

नम्बर प्लेट नहीं है जिसे चैकिंग के लिये रोकने का इशारा किया गया तो वह व्यक्ति हडबड़ा गया एवं भागने का प्रयास करने लगा । जिसे सिपाहियों द्वारा तुरन्त दौड़ाकर वाहन सहित रोक लिया । इस व्यक्ति की मोटर साईकिल की पीछे की ओर नम्बर प्लेट एम पी 16 एम एल 3248 लगी है जिसकी टंकी के ऊपर एक प्लास्टिक बोरी में कुछ सामान रखा है । जिसे खोलकर देखा गया तो देशी शराब के कार्टून 04 अदद एवं देशी मदिरा के नकली ढक्कन, नकली रैपर, नकली बार कोड, दो प्लास्टिक का डिब्बे हैं । जिनको देखा गया तो एक प्लास्टिक के डिब्बे में कुछ तरल पदार्थ काला रंग एवं दूसरे प्लास्टिक के डिब्बे में पन्नी के अंदर लाल रंग पदार्थ तथा प्लास्टिक बोरी में नकली लेबल व नकली क्यू आर कोड के रोल हैं । डिब्बे को खोलकर सूंघा गया एवं हमराहियों को सूंघाया गया तो गंध आ रही है एवं पालीथीन में लाल रंग पाऊडर है । इस व्यक्ति ने अपना नाम अंकित विश्वकर्मा पुत्र मनीष विश्वकर्मा निवासी गंगापुरम बिहार कालौनी बड़ी नहर थाना कोतवाली ललितपुर जिला ललितपुर बताया । इस व्यक्ति से बरामद नकली ढक्कन व क्यू आर कोड आदि के बारे में जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह रवि लखैरा पुत्र सुरेश लखैरा निवासी ग्राम महेवा जिला छतरपुर वर्तमान पता मु0 गंगापुरम कालौनी थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर तथा उसकी पत्नी शिवानी लखैरा एवं चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम अंडेला थाना मालथौन जिला सागर म0प्र0 हाल निवासी मु0 गंगापुरम कालौनी थाना कोतवाली जनपद ललितपुर, मोना राजा निवासी खिरिया छतारा बानपुर रोड ललितपुर एवं प्रेम सिंह बांगडी निवासी ग्वालियर के लिए काम करता है । पकड़े गए माल के बारे में और पूछताछ करने पर उसने बताया कि मोना राजा निवासी खिरिया छतारा से यह माल लेकर मैं रवि लखैरा एवं चंद्रेश लोधी के पास मु0 गंगापुरम कालौनी थाना कोतवाली ललितपुर के पास जा रहा था वहां पर हम लोग मिलकर नकली शराब तैयार कर उसपर नकली रैपर, नकली ढक्कनो से शील कर उसके ऊपर नकली क्यू आर कोड विभिन्न प्रकार की लगाकर उन्हें विभिन्न स्थानों सौरभ ढाबा ग्राम बांदरी सागर, संजू राजा का राजविराज ढाबा ग्राम बड़ोदिया सागर, लोकेन्द्र सिंह बुन्देला का ढाबा पलेथनी जिला सागर, रामकुमार का रौनक ढाबा ग्राम नदनवारा ललितपुर एवं मध्य प्रदेश के सरकारी ठेकों की दुकानों पर कम कीमत पर सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमाते हैं क्योंकि हमारी दुकानें मध्य प्रदेश में हैं । उत्तर प्रदेश में हम लोग यह शराब नहीं बेचते हैं । यह सभी लोग इन नकली शराब के पहुँचों को आमजन मानस को महंगे दामों में सही के रूप में विक्री कर बहुत पैसा अर्जित करते हैं । यदि जल्दी की जाये

तो रवि लखैरा के घर पर इस गैंग के अन्य साथी रवि लखैरा, रवि की पत्नी शिवानी लखैरा, चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की, प्रेम सिंह बांगड़ी पकड़े जा सकते हैं यह लोग क्रेटा कार, ओडी जैसी मंगही गाड़ियों से शराब की सप्लाई विभिन्न स्थानों पर करते हैं जिससे रास्ते में कोई चैकिंग नहीं करता है इन सभी लोगों ने नकली शराब तैयार कर मोटी रकम प्राप्त कर अपनी चल अचल सम्पत्ति बनाई है। तभी पूर्व सूचना पर श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सदर श्री सुनील कुमार भारद्वाज तथा आबकारी निरीक्षक क्षेत्र प्रथम अन्विता तिवारी जनपद ललितपुर तथा महिला उ०नि० सीमा प्रजापति थाना कोतवाली जनपद ललितपुर मौके पर उपस्थित हुए जिन्हें घटनाक्रम से अवगत कराते हुये श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सदर ललितपुर के निर्देशन में मय मौके पर उपस्थित आयी आबकारी निरीक्षक के मैं उ०नि० मय हमराह अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं अंकित विश्वकर्मा उपरोक्त के मय मोटर साईकिल व बरामद उपरोक्त शराब आदि के रवाना होकर रवि लखैरा के मकान मुहल्ला गंगापुरम पर आये जहाँ पर साथ आये अंकित विश्वकर्मा उपरोक्त की निशानदेही पर रवि लखैरा उपरोक्त के मकान के मुख्य दरवाजे से आवाज देकर खुलवाने का प्रयास किया तभी अंदर से तेज आवाज आई पुलिस आ गयी अपना बचाव करो और अचानक तरल पदार्थ मकान के फर्स से बाहर की ओर जमीन पर बहना शुरू कर दिया जिसमें स्प्रिट की तीक्ष्ण गंध आ रही है। उपरोक्त परिस्थिति में मकान को हमराह पुलिस कर्मियों को घेरने के लिये निर्देशित कर मुझ उ०नि० द्वारा बार बार बुलंद आवाज में मकान का दरवाजा खोलने की कहने के बाद घर का मुख्य दरवाजा एक पुरुष के द्वारा खोला गया जिसे देखते ही अंकित विश्वकर्मा उपरोक्त के द्वारा बताया गया कि यह रवि लखैरा है। तत्पश्चात उक्त रवि लखैरा उपरोक्त को तथा अंकित विश्वकर्मा उपरोक्त को साथ लेकर हम पुलिस बल मय श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सदर ललितपुर व आबकारी टीम के साथ मकान में प्रवेश कर अन्य व्यक्तियों को मकान की बैठक में सोफे के बराबर में छिपते हुये पकड़ लिया। पकड़े गये रवि लखैरा उपरोक्त से तथा पकड़े गये शेष लोगों ने बारी बारी नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम रवि लखैरा पुत्र सुरेश लखैरा उम्र - 45 वर्ष निवासी ग्राम महेवा थाना ओरछा रोड जिला छतरपुर म०प्र० हाल निवासी मु० गंगापुरम कालौनी थाना कोतवाली जनपद ललितपुर बताया। पकड़े गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की पुत्र करन सिंह लोधी उम्र - 26 वर्ष निवासी ग्राम अंडेला रानी अवंतीबाई वार्ड थाना मालथौन जिला सागर म०प्र० हाल पता रवि लखैरा का मकान मु० गंगापुरम कालौनी थाना कोतवाली ललितपुर जिला ललितपुर बताया। पकड़े गये

तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम मनीष विश्वकर्मा पुत्र कम्मोद विश्वकर्मा उम्र - 45 वर्ष निवासी ग्राम पढवा थाना महरौनी जिला ललितपुर हाल पता मु0 जमुनापुरम कालौनी थाना कोतवाली ललितपुर जिला ललितपुर बताया । पकड़े गये चौथे व्यक्ति ने अपना नाम पुष्पेन्द्र ठाकुर पुत्र सूरज भान निवासी ग्राम करगन मजरा नया खेडा थाना कोतवाली ललितपुर जिला ललितपुर बताया । रवि लखैरा के मकान के कैम्पस में उल्टे पड़े ड्रमों से फैलाये गये तरल पदार्थ के संबंध में पूछने पर रवि लखैरा, मनीष विश्वकर्मा, पुष्पेन्द्र एवं चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की ने बताया साहब पुलिस के आने पर माल सहित पकड़े जाने पर बड़ी कार्यवाही होने के बारे में प्रेम सिंह बांगडी एवं मोनू राजा ने हम लोगों को पहले ही बताया था और कहा था कि यदि ऐसी कोई स्थिती पैदा हो जाये तो हमें स्टोक में रखी स्पिरिट को जमीन पर फैला देना है इसलिये हम लोगो को जैसे ही पता चला कि घर के बाहर पुलिस खड़ी हुई है, हम लोगों ने ड्रम में रखी हुई स्पिरिट को फैला दिया था और बैठक में छिप गये कि यदि पुलिस वाले हमें तलाशते हुये घर में घुसते है तो हम लोग निकलकर बाहर भाग जायेगे । पकड़े गये पाँचों व्यक्तियों से इस अवैध शराब को बनाने, परिवहन करने, विक्रय करने आदि के संबंध में पूछने पर रवि लखैरा ने बताया कि मैं पहले शराब के कारोबार में छतरपुर एवं निवाडी म0प्र0 में दुकाने चलाता था जहां चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की सैल्स मेन का काम करता था मेरी कुल 07 शराब की कम्पोजिट दुकाने है इन दुकानो पर शराब की सप्लाई प्रेमसिंह बांगडी निवासी ग्वालियर करता था तभी उसने बताया इन दुकानो के माध्यम से प्रोफिट कम होगी यदि हम लोग साथ मिलकर अवैध शराब को तैयार कर उसे भिन्न भिन्न स्थानो पर सप्लाई कर मोटा मुनाफा प्राप्त कर सकते है उस समय प्रेम सिंह बांगडी ने कहा कि मैं शराब की सप्लाई करता हूं इसलिये आम लोगो का मुझ पर काफी विश्वास है । तब मैने अपने साथी प्रेम सिंह बांगडी निवासी ग्वालियर मो0-70675XXXXX, चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की निवासी ग्राम अंडेला सागर मो0नं0-93010XXXXX, अंकित विश्वकर्मा निवासी जमुनापुरम कालौनी ललितपुर मो0-78805XXXXX, मनीष विश्वकर्मा निवासी जमुनापुरम कालौनी ललितपुर मो0-70804XXXXX और मोना राजा निवासी खिरिया छतारा ललितपुर मो0नं0-78973XXXXX, पुष्पेन्द्र ठाकुर निवासी करगन मजरा नया खेडा ललितपुर मो0-94540XXXXX से आपस में बातचीत कर षणयन्त्र पूर्वक संगठित रूप से धन अर्जित करने के लिये नकली शराब बनाने की फैक्ट्री चालू करने की तैयारी कर ली । इस नकली शराब बनाने में उपयोग किये जाने वाले नकली रैपर, नकली क्यू आर कोड, नकली ढक्कन, नकली प्लास्टिक के डिब्बे, फूड कलर, कैमिकल तथा स्पिरिट की

व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मैंने एवं अपने साथी प्रेमसिंह बांगड़ी, चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की व मोनू राजा के साथ ली । हम लोग दादा हरियाणा के यहां से दीपचन्द्र, बड़े राजा व गजेन्द्र के सहयोग से स्प्रिट को चोरी छिपे लाकर लगातार नकली शराब बनाते थे । जब हम लोग स्प्रिट लदी गाड़ी को मंगाते थे तब प्रेमसिंह बांगड़ी, मोनू राजा ब्रेजा कार सं० HR 12 AJ 8971 से निगरानी करते हुये स्प्रिट की लदी हुई गाड़ी को लेकर आते थे । मैंने नकली बोतल को पैक करने वाली मशीन तथा अन्य सामान को खरीद लिया फिर हम लोगो ने छतरपुर में जगह बदल बदल कर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री चलाई तथा तैयार नकली शराब को सही के रूप में विभिन्न सरकारी ठेको एवं ढाबो पर अपने प्राइवेट वाहनो के माध्यम से सप्लाई कर मोटी रकम अर्जित की जब वहां पकड़े जाने की संभावना हुई तब हमने अन्य स्थानो पर फैक्ट्री स्थापित कर नकली शराब को तैयार कर सही के रूप में भिन्न भिन्न ढाबो पर बेचकर मोटी रकम प्राप्त की है । कुछ समय पूर्व मैंने अपने अन्य साथी प्रेमसिंह बांगड़ी, मोनू राजा, अंकित विश्वकर्मा, मनीष विश्वकर्मा, चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की, पुष्पेन्द्र से कहा कि अब हम लोग अपनी नकली शराब बनाने की फैक्ट्री मु० गंगापुरम कालौनी में स्थापित कर अपने कारोबार को बड़ा कर मोटी रकम कम समय में प्राप्त कर सकते हैं जिस पर सभी लोग सहमत हो गये थे । इसी योजना के तहत हम लोगो ने यहां अपनी नकली शराब फैक्ट्री को अपने घर में स्थापित किया और जहाँ पर हम सभी लोग और मेरी पत्नी मिलकर इस काम को करते थे और स्टॉक को रखने के लिए अपने घर के बराबर में एक कमरा किराये पर लिया था । मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर नकली शराब को तैयार कर सही के रूप में विक्री कर अर्जित धन से एक ओ.डी. कार जिसका नम्बर यूपी 16 बी०ई० 3443, क्रेटा कार नम्बर - एम पी 16 जेड एच 6068, स्कोडा कार सं०- एम पी 04 सी एच 1144 तथा मोटरसाईकिल हीरो पैंशन सं०- एम पी 16 एम एल 3248 तथा इस मकान को प्लॉट खरीदकर कुछ समय पूर्व ही बनवाया है । हम सभी लोग अधिकांश लेन देन नगद और कभी कभी ICICI बैंक खाता नं०-7259050XXXXX, HDFC बैंक खाता सं०-50200118578286, सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के खाता सं०-51716XXXXX, SBI के खाता सं०-418999XXXXX, AU फाईनैस बैंक के खाता सं०-1911232522731683, एवं खाता सं०-1011232521087336 से आनलाईन पेटीएम के माध्यम से भी ट्रान्जेक्शन करते थे । मौके पर मौजूद चन्द्रेश लोधी उर्फ विक्की, मनीष विश्वकर्मा, पुष्पेन्द्र तथा अंकित विश्वकर्मा उपरोक्त से नियमानुसार पूछताछ की गयी तो षणयंत्र पूर्वक संगठित रूप से धन अर्जित करने के लिये अवैध शराब का निर्माण कर सही के रूप

में विक्रय कर मोटी रकम अर्जित कर अपनी चल अचल सम्पत्ती को क्रय करने में उपयोग करना बताते हुये गलती की माफी मांगने लगे । अपने साथी प्रेमसिंह बांगडी एवं मोनू राजा को स्वेफ्ट कार नं०-UP 94 E 3778 से मौके से कुछ समय पूर्व नकली शराब बनाने का अन्य सामान लेने के लिये जाना बताया । अभियुक्तगण रवि लखैरा, अंकित विश्वकर्मा एवं चन्द्रेश लोधी उर्फ विक्की की निशांदेही पर मौके पर अवैध नकली शराब निर्माण सामग्री को देखा गया तो पारदर्शी प्लास्टिक पहुआ कुल 9109 नग, गते 750 जिनपर SOM ए सिम्बल इन क्वालिटी लिक्वर कार्पोरेट आफिस भोपाल आदि अंकित, नकली ढक्कन 5329 नग जिनपर SOM आदि अंकित, नकली बार कोड नीले 3363 एवं लाल नकली बार कोड 19161, नकली रैपर पावर स्ट्रोंग व्हिस्की 43700, नकली रैपर प्रिंस देशी मदिरा मसाला आरेंज 50400, नकली रैपर प्रिंस देशी मदिरा मसाला लेमन 51720. नीले बड़े ड्रम 17 अदद, नीले ड्रम छोटे 04 अदद, आरो मशीन एक अदद, बोतल शील करने की मशीन AMIRI ब्रांड एक अदद, फ्रूड कलर लाल का एक डिब्बा जिसमें पन्नी के अंदर लाल रंग रबर से बंद, शार्पकिलर - 10 प्वाइजन एक अदद, अल्फा प्वाइजन एक अदद डिब्बी और अवैध रूप से अर्जित धन 550000 रुपये (500X500=250000), (200X200=40000), (100X2600=260000) बरामद हुआ । मौके पर ही खडी हुई क्रेटा कार नम्बर MP 16 ZH 6068 को रिमोट की से खोलकर देखा तो गाडी की डिग्गी में दो अदद हल्के नीले रंग की 20 लीटर की बोतले बरामद हुई जिन्हे सूंघा एवं हमराह को सुंघाया स्प्रिट की तीव्र गंध आ रही है तथा गाडी के अंदर तीन अदद नम्बर प्लेट जिनमें दो नम्बर प्लेटो पर वाहन पंजीयन सं०-MP 04 CH 1144 एवं एक नम्बर प्लेट पर वाहन नम्बर UP 93 AE 0003 बरामद हुआ जिन्हे अभियुक्तगण द्वारा नकली शराब को ले जाते समय छिपकर नम्बर प्लेट बदलकर होटल ढाबो पर चोरी छिपे पहुंचाने में उपयोग करना बताया और गाडी सं० ओ.डी. UP 16 BE 3443 को रिमोट की के माध्यम से खोलकर देखा तो गाडी के अंदर दो अदद हल्के नीले रंग की 20 लीटर की बोतले बरामद हुई जिन्हे सूंघा एवं हमराह को सुंघाया स्प्रिट की तीव्र गंध आ रही है । अभियुक्तगण रवि लखैरा पुत्र सुरेश लखैरा हाल पता मुहल्ला गंगापुरम कालौनी थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर स्थाई पता ग्राम महेवा थाना ओरछा रोड जिला छतरपुर म०प्र०, चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम अंडेला मु० रानी अवंतीबाई वार्ड थाना मालथौन जिला सागर म०प्र० वर्तमान पता मु० गंगापुरम कालौनी थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर, मनीष विश्वकर्मा पुत्र कम्मोद विश्वकर्मा निवासी ग्राम पढवा थाना महरौनी जिला ललितपुर हाल पता मु०

जमुनापुरम कालौनी थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर, पुष्पेन्द्र ठाकुर पुत्र सूरज भान निवासी करदन मजरा नया खेडा थाना कोतवाली जिला ललितपुर एवं अंकित विश्वकर्मा पुत्र मनीष विश्वकर्मा निवासी मु0 जमुनापुरम बडीनहर थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर स्थाई पता ग्राम पढवा थाना महरौनी जिला ललितपुर का यह जुर्म आबकारी अधिनियम की धारा 60/72 एवं धारा 61(2)/274/319(2)/318(4)/338/336(3) BNS एवं कापीराइट एक्ट की धारा 54/63 का दण्डनीय अपराध है अभियुक्तगण उपरोक्त को नियमानुसार घटनाक्रम से अवगत कराते हुये गिरफ्तारी के आधारों से हिन्दी सहज भाषा में अवगत कराते हुए गिरफ्तारी के आधारों की पठनीय प्रति देकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर अभियुक्तगण उपरोक्त को उनके विधिक अधिकारों तथा अपनी पसंद के अधिवक्ता का चयन करने के अधिकार से नियमानुसार अवगत कराकर पर्याप्त समय प्रदान किया जा रहा है । बरामदा उपरोक्त खाली पारदर्शी क्वार्टरो से 06 अदद नमूना माल प्रथक कर, बरामद गत्तो से 06 अदद गत्ता, नकली ढक्कनो से 06 अदद ढक्कन, नकली बार कोड से 06 अदद बार कोड, नकली रैपरो से 06 अदद विभिन्न ब्रांड के रैपर को एक पारदर्शी डिब्बे में रखकर सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया शेष बरामदा उपरोक्त को बरामदगी बार प्लास्टिक के बोरे में सील सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किये, बरामद प्लास्टिक के डिब्बे फूड कलर सहित एवं प्वाइजन के डिब्बो को अलग अलग चिट बंदी किया गया बरामदा देशी शराब बंटी बबली से चार अदद टैट्रा पैक नमूना माल अलग कर शेष को बोरी में शील सर्व मोहर किया नमूना मोहर तैयार किया बरामदा पावर स्ट्रांग विस्की क्वार्टर, जिप्सी फाइन बिस्की क्वार्टर एवं देशी मदिरा मसाला प्रिंस आरेन्ज क्वार्टर को अलग अलग चिट बंदी किया गया । अभियुक्तगण 1.रवि लखैरा पुत्र सुरेश लखैरा हाल पता मुहल्ला गंगापुरम कालौनी थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर स्थाई पता ग्राम महेवा थाना ओरछा रोड जिला छतरपुर म0प्र0, 2. चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम अंडेला मु0 रानी अवंतीबाई वार्ड थाना मालथौन जिला सागर म0प्र0 वर्तमान पता मु0 गंगापुरम कालौनी थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर, 3.मनीष विश्वकर्मा पुत्र कम्मोद विश्वकर्मा निवासी ग्राम पढवा थाना महरौनी जिला ललितपुर हाल पता मु0 जमुनापुरम कालौनी थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर, 4. अंकित विश्वकर्मा पुत्र मनीष विश्वकर्मा निवासी मु0 जमुनापुरम बडीनहर थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर स्थाई पता ग्राम पढवा थाना महरौनी जिला ललितपुर, 5.पुष्पेन्द्र ठाकुर पुत्र सूरज भान निवासी करदन मजरा नया खेडा थाना

कोतवाली जिला ललितपुर को नियमानुसार गिरफ्तारी के कारण एवं गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराते हुये समय - 18:25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त रवि लखैरा के कब्जे से एक अदद ओपो मोबाईल आईएमईआई 866418081154434 / 866418081154426, एवं सैमसंग गैलेक्सी मोबाईल आईएमईआई 355744470484779/01 तथा 357818240484771/01 और VIVO Y मोबाईल आईएमईआई 861753074153604 / 861753074153612 बरामद हुआ । अभियुक्त अंकित विश्वकर्मा के कब्जे से लाबा मोबाईल फोन आईएमईआई 355644241423699 / 355646241423707 तथा रियल मी मोबाईल आईएमईआई 866975067344156 / 866975067344149 बरामद हुये । अभियुक्त चन्द्रेश लोधी उर्फ विक्की के कब्जे से रियल मी मोबाईल फोन आईएमईआई 866151066859491/ 866151066859483 तथा अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार के कब्जे से ओपो मोबाईल फोन आईएमईआई 861096054770652 / 861096054770642 बरामद हुये जिन्हे घटना से संबंधित एवं डिजीटल साक्ष्य के मध्य नजर बरामदगी अनुसार पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर चिटबंदी किया गया । बरामदा नीले ड्रमों, RO वाटर मशीन, बोतल शील करने की मशीन, फर्जी नम्बर प्लेटो को प्रथक प्रथक चिट बंदी किया गया । घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार नं0- एम पी 16 जेड एच 6860, ओडी कार नम्बर UP 16 BE 3443 को मय रिमोट चाबियों के नियमानुसार कब्जा पुलिस में लिया गया । फर्द मौके पर ही मुझ उप निरीक्षक द्वारा बोल बोल कर उ0नि0 श्री आलोक कुमार के द्वारा साथ लिये लैपटाप में लिखकर पेनड्राइव में डालकर मौके पर मौजूद उ0नि0 श्री अनिल कुमार को फर्द की दो प्रतियाँ कोतवाली ललितपुर में लगे प्रिंटर से निकालकर लाने हेतु रवाना किया गया । कुछ समय पश्चात उ0नि0 श्री अनिल कुमार फर्द की दो प्रतियो मे निकलवाकर मौके पर लाये है जिसे मूल फर्द से मिलान करने पर अक्षरशा पायी गयी फर्द मौके पर मुझ उ0नि0 द्वारा पढकर सुनाकर सर्व सम्बन्धित के अलामात वनवाये जा रहे है अभियुक्तागणो की गिरफ्तारी की सूचना थाने पर पहुंचकर अकव से दी जायेगी हस्ताक्षर अंग्रेजी उ0नि0 प्रशान्त राणा दिनांक-04.05.2026 हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठनीय आबकारी निरीक्षक अन्विता तिवारी ललितपुर हस्ताक्षर उ0नि0 आलोक सिंह हस्ताक्षर उ0नि0 अनिल कुमार हस्ताक्षर अंकित कौशिक उ0नि0 हस्ताक्षर आरक्षी नवीन हस्ताक्षर निशान्त हस्ताक्षर अनुराग हस्ताक्षर म0हेका0 पुनीता हस्ताक्षर म0का रीना धाकरे हस्ताक्षर म0का0 प्रतिभा हस्ताक्षर उ0नि0 महिला सीमा प्रजापति हस्ताक्षर अभियुक्त अंग्रेजी रवि हस्ताक्षर हिन्दी अंकित ,हस्ताक्षर हिन्दी पुष्पेन्द्र ,हस्ताक्षर हिन्दी मनीष

,हस्ताक्षर हिन्दी चन्द्रेश नोट --- फर्द की एक प्रति सभी अभियुक्त गणों की सहमति से अभियुक्त रवि को दी गयी हस्ताक्षर अभियुक्त अग्रेजी रवि नोट में हेका0 मनोज कुमार प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल शब्द व शब्द सीसीटीएनएस में नियुक्त म0का0 पूजा यादव से बोल बोल कर टाईप करायी गयी है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/ नाम): RAJJAN BABU अवर निरीक्षक

No. (सं.): 0152014450 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

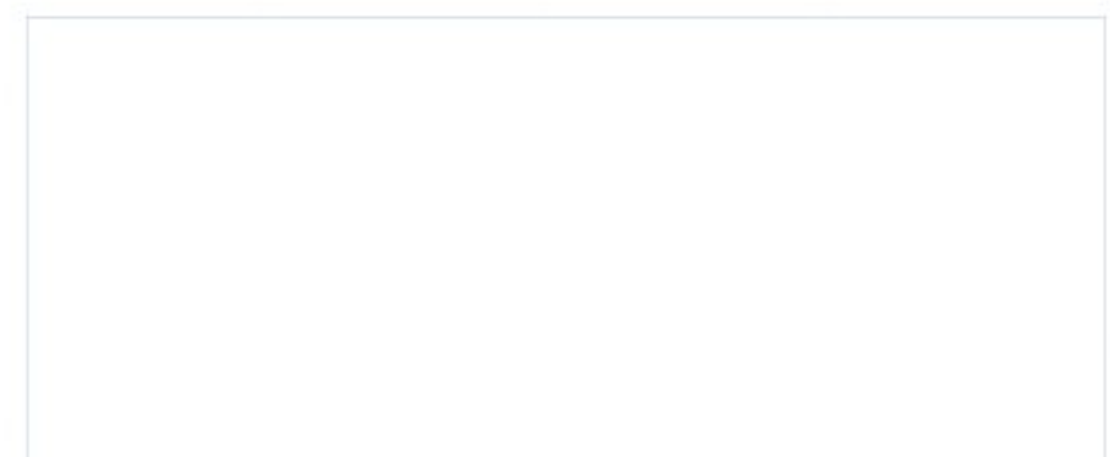
(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)



Signature of Officer in charge,
Police Station (थाना प्रभारी के
हस्ताक्षर)

Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): SHO KOTWALI
LALITPUR

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454403826

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	2005		-		चेचक: नहीं
2	पुरुष	1981		-		चेचक: नहीं
3	पुरुष	2000		-		चेचक: नहीं
4	पुरुष	1981		-		चेचक: नहीं

5	पुरुष	1986		-		चेचक: नहीं
6	महिला			-		चेचक: नहीं
7	पुरुष			-		चेचक: नहीं
8	पुरुष			-		चेचक: नहीं
9	पुरुष			-		चेचक: नहीं
10	पुरुष			-		चेचक: नहीं
11	पुरुष			-		चेचक: नहीं
12	पुरुष			-		चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoder ma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)